न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 298/2016

आरसीएमएस नं. 2016/00148

1. ताराचन्द पुत्र भुराराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 16 रेगरों का मोहल्ला भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. सोहनलाल } पिसरान भूराराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 16 रेगरों को मोहल्ला
3. रमेश कुमार } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. केसराराम पुत्र कालुराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 16 रेगरों को मोहल्ला, भादरा जिला हनुमानगढ।
5. महावीर पुत्र लीलूराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 16 रेगरों को मोहल्ला भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. गंगादेवी पत्नी स्वर्गीय लीलूराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 16 रेगरों को मोहल्ला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

---अपीलार्थी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम

1. पतासी पुत्री कालुराम जाति रेगर निवासी रेगरों को मोहल्ला भादरा हाल आबाद हांसी जिला हिसार (हरियाणा)
2. जगदीश
3. बाबुलाल
4. मोहनलाल
5. सुभाष

   पुत्रगण रूकमां पुत्री कालुराम पत्नी जैसराज जाति रेगर निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू (राज0)

6. ओमप्रकाश पुत्र लीलूराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 1 इन्द्रा कालोनी भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ। --फौत

   6/1 छोटी देवी (प्रेमलता) पत्नी ओमपकाश जाति रेगर निवासी हिसार सैक्टर नम्बर 14 मकान नं. 300 हिसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6/2 कविता
6/3 अल्का
6/3 आशा
} पुत्रियां औमप्रकाश जाति रेगर निवासी हिसार सैक्टर नं. 14 मकान नं. 300 हिसार (हरियाणा)

6/5 अशोक कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति रेगर निवासी मकान नं. 300 हिसार, हरियाणा

7. रामलाल पुत्र लीलूराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 1 इन्द्रा कालोनी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

8. गुड्डी देवी
9. निमलादेवी
10. सन्तोष
} पुत्रियां लीलूराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 16 रेगरों का मोहल्ला का मोहल्ला भादरा, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

11. कुम्भाराम पुत्र कालूराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 16 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

12. सब रजिस्ट्रार भादरा।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2016,
प्रकरण संख्या 76/2015 अनवान पतासी आदि बनाम ताराचन्द आदि

श्री अंजनी कुमार अधिवक्ता अपीलाण्ट,
श्री हवा सिंह पूनिया अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 3 ता 5, 6, 7, 11

निर्णय दिनांक 22.12.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वजों की चक 1 आरपी में कुल 39 किलासकृषि भूमि हुआ करती थी। कालूराम के वारिसान, लीलूराम, केसराराम, कुम्भाराम, व ताराचन्द व रमेश कुमार ने सायला व उसकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बहिन सरबती व रूकमा एवं खेती को भूराराम का वारिस नही दिखा कर दिनांक 28.03.88 को अपने अकेलों के नाम अन्तरण दर्ज करवा लिया जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत 2041 वे 44 पर दर्ज है। गैर सालय सं0 1 ता 8 ने बिना अधिकार कानून के खिलाफ नाजायज तरीके से कालूराम के सभी वारिसान को नहीं दिखाकर बाला–बाला अन्तरण दर्ज करवा कर उसका खाता तकसीम 1997 में करवा लिया जबकि जबकि उन्हें इसका कोई अधिकार नही था। गैरसायलान सं0 1 से 12 के नाम रहन से अपीलाण्ट के हक हिस्सों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में प्रश्नगत भूमि को रहन बेय नही करने व मुन्तकिल नहीं करने सायलान के कब्जा काश्त एवं हिस्सा की कृषि भूमि को काश्त करने से नही रोकने एवं वाद भूमि का कोई बैयनामा, रहननामा, या इकरारनामा नहीं करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि मातहत अदालत का निर्णय कानून के खिलाफ, व वाक्यात ए रूएदाद मिसल है। विधि की भयंकर अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र एवं दस्तावेजों पर कोई गौर नही किया गया है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेण्ट सं0 6 से 11 वादग्रस्त आराजी के दर्ज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त भूमि उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है। अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता था, फिर भी मातहत अदालत ने सायलान रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 5 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है। अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थना–पत्र जेर दफा 212 आरटीए के कोई भी इन्ग्रीडियन्ट पूरे नहीं होते हैं। फिर भी रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ कब्जा काश्त बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि कालू राम संवत 2040 में फौत हो गया था कालूराम क मरने के समय भूराराम, लिलूराम, केसराराम, कुम्भाराम, सरबती, खेती व पतासी जायज वारिसान थे चूंकि खेता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

लावल्द फौत हो गई। भूराराम, लीलूराम, केसराराम, कुम्भाराम ने मिलकर अपने आपको कालूराम का वारिस बाताते हुए विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जबकि कालूराम की मृत्यु के समय रूकमा पतासी, सरबती जीवित थी उन्हें छोड़ते हुए भूमि अप्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज करवा ली जिसमें गैरसायलान औमप्रकाश, रामलाल जो लीलूराम के वारिस हैं एवं कुम्भाराम जो कालूराम का वारिस है। सायलान के सजरा में प्रार्थिया पतासी एवं रूकमा के वारिसान माता रूकमा व सरबती का नाम दर्ज नही है। यदि प्रश्नगत आराजी का बेचान हो जाता है तो रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5 अपने हक अधिकारों से महरूम हा जायेगा उसे अपूर्णीय क्षति होगी और वाद की बहुलता होगी। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलाकन किया।

6. बहस में आये तथ्यों के अनुसार संवत 2040 में कालूराम के फौत होने के समय भूराराम, लिलूराम, केसराम कुम्भाराम, सरबती खेती व पतासी जायज वारिसान थे चूंकि खेता लावल्द फौत हो गई। भूराराम, लीलूराम, केसराराम, कुम्भाराम ने मिलकर अपने आपको कालूराम का वारिस बताते हुए विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जबकि कालूराम की मृत्यु के समय रूकमा पतासी, सरबती जीवित थी उन्हें छोड़ते हुए कालूरामी भूमि अप्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसमें गैरसायलान औमप्रकाश, रामलाल जो लीलूराम के वारिस हैं एवं कुम्भाराम जा कालूराम का वारिस है। सायलान के सजरा में प्रार्थिया पतासी एवं रूकमा के वारिसान माता रूकमा व सरबती का नाम दर्ज नही है। उभयपक्षों के मध्य हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में किया जाना है यदि इस बीच भूमि को रहन बेय आदि द्वारा मुन्तकिल कर दिया जाता है तो उभयपक्ष के मध्य वाद की बहुलता बढेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायलाय ने धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए स्थगन आदेश जारी किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रूटि नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.01.2006 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)